

कोर्ट फीस  
टिकट 2 रू.

एफ-40  
न्याय

शस्त्र अनुज्ञापत्र पर रिटेनर दर्ज करने हेतु आवेदन-पत्र

1.	नाम आवेदक (लाइसेन्सी)	
2.	पिता का नाम	
3.	वर्तमान पता पुलिस स्टेशन का नाम	
4.	शस्त्र अनुज्ञापत्र संख्या एवं जिले का नाम जहाँ से जारी है।	
5.	दर्ज शस्त्र की श्रेणी व नम्बर	
6.	अनुज्ञापत्र में क्षेत्र	
7.	अनुज्ञापत्र की वैधता अवधि	
8.	रिटेनर का नाम	
9.	रिटेनर के पिता का नाम	
10.	रिटेनर दर्ज कराने का कारण	

नोट :- रिटेनर का आवेदन प्रपत्र 'अ' में एवं मूल अनुज्ञापत्र संलग्न करे।

हस्ताक्षर आवेदक

कार्यालय टिप्पणी

आवेदक द्वारा अनुज्ञा पत्र पर रिटेनर दर्ज कराना चाहा है जिसके लिए जाँच एवं टिप्पणी हेतु पुलिस अधीक्षक को लिखा गया पत्र हस्ताक्षरार्थ प्रस्तुत है।

लिपिक

शाखा प्रभारी

प्रभारी अधिकारी

1.	पुलिस अधीक्षक द्वारा आवेदक के अनुज्ञा पत्र पर श्री कनामे रिटेनर दर्ज किये जाने में कोई आपत्ति की है।	
2.	आवेदक के अनुज्ञा पत्र पर रिटेनर दर्ज करना उचित होगा।	
3.	आवेदक को जारी अनुज्ञा पत्र का क्षेत्र भारतवर्ष है। अतः रिटेनर दर्ज करने की स्वीकृति हेतु गृह विभाग को लिखना उचित होगा।	
4.	आवेदक को निरस्तीकरण की सूचना देना उचित होगा।	

लिपिक

शाखा प्रभारी

प्रभारी अधिकारी